2021/20

फर्द अहकाम

दुल्ला बनाम रामफूल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 12/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.11.2022.	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा हाजिर। अप्रार्थी सं. (1) व (2) की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर जवाब प्रस्तुत ना कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 119/37 रकबा 2.2887 [illegible] डूंगा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में वादीगण की खातेदारी भूमि है, ऐसी स्थिति में Title and possession वादीगण का होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के हक में है। साथ ही उनके कब्जे काश्त की भूमि में यदि कोई अड़चन आती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति कारित होने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी/वादीगण का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणों को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी/वादीगण	

2021/20

फर्द अहकाम

गुल्ला बनाम रामफूल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 12/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		की खातेदारी भूमि में काश्त-कार्य में दखल अंदाजी नहीं करेंगें। साथ ही यदि कदमी रास्ता है तो कोई भी सरकारी ऐजेन्सी। एजेन्ट इस मार्ग पर सड़क बनाने। सुविधा का निर्माण करने हेतु स्वतंत्र है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/-